

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद्, भभुआ।

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, जगदीशपुर एवं मुरलीगंज।

पटना, दिनांक-06/03/19

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में विभिन्न नगर निकायों में जल-जमाव की समस्या के समाधान हेतु नाला निर्माण की कुल ₹147.70372 लाख (एक करोड़ सैंतालीस लाख सत्तर हजार तीन सौ बहत्तर रु०) मात्र की योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजना कार्यान्वयन हेतु तत्काल ₹110.77779 लाख (एक करोड़ दस लाख सतहत्तर हजार सात सौ उनासी रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में आवंटित।

आदेश:- स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में जल-जमाव की समस्या के समाधान हेतु विभिन्न नगर निकायों से प्राप्त निम्न तालिका के स्तम्भ- 3 में अंकित योजना के लिए स्तम्भ- 4 में अंकित राशि के अनुरूप कुल ₹147.70372 लाख (एक करोड़ सैंतालीस लाख सत्तर हजार तीन सौ बहत्तर रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजना कार्यान्वयन हेतु स्तम्भ- 5 के अनुरूप विभागीय राज्यादेश सं०-140 दिनांक-06/03/19 के आलोक में तत्काल कुल ₹110.77779 लाख (एक करोड़ दस लाख सतहत्तर हजार सात सौ उनासी रु०) मात्र निम्नवत् आवंटित की जाती है:-

(राशि लाख में)

क्र० सं०	निकाय का नाम	योजनाओं का नाम	तकनीकी अनुमोदन/ प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	तत्काल आवंटित राशि	अवशेष राशि (4-5)
1	2	3	4	5	6
1	नगर परिषद्, भभुआ	वार्ड सं०- 08 में शिवाजी चोक से हवाई अड्डा तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	48.60000	36.45000	12.15000
योग(क)			48.60000	36.45000	12.15000
2	नगर पंचायत, जगदीशपुर	राज श्री स्टूडियो से गुप्ता स्टूडियो से बाके साह के घर तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	37.41672	28.06254	9.35418
3		मुख्य बाजार में शरदा साह के घर से काशीनाथ जी के दुकान होते चौधरी वस्त्रालय होते हुए तन्नु चाय दुकान तक नाला निर्माण कार्य।	47.07300	35.30475	11.76825
4	नगर पंचायत, मुरलीगंज	वार्ड न०- 10 में राजेन्द्र मंडल के घर से बैद्यनाथ मंडल के घर तक नाला निर्माण कार्य।	14.61400	10.96050	3.65350
योग(ख)			99.10372	74.32779	24.77593
कुल योग(क+ख)			147.70372	110.77779	36.92593

अर्थात् कुल आवंटित राशि ₹110.77779 लाख (एक करोड़ दस लाख सतहत्तर हजार सात सौ उनासी रु०) मात्र।

2. आवंटित कुल ₹110.77779 लाख (एक करोड़ दस लाख सतहत्तर हजार सात सौ उनासी रु०) मात्र सहायक अनुदान की राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, भभुआ तथा नगर पंचायत, जगदीशपुर एवं मुरलीगंज होंगे, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98 एवं पत्रांक- 354, दिनांक-28.03.2018 में निहित अनुदेशों के आलोक में संबंधित कोषागार से राशि की निकासी की जायेगी। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी। राशि का संधारण पी०एल० खाता में किया जाएगा।

3. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम- 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०- 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 1496, दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक- 63, दिनांक- 11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण-पत्र BCT- 42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

4. वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक- 16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड) के अनुसार “सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।”

5. कुल आवंटित राशि ₹110.77779 लाख (एक करोड़ दस लाख सतहत्तर हजार सात सौ उनासी रु०) मात्र की निकासी निम्नवत् की जायेगी:-

(क) आवंटित कुल ₹110.77779 लाख (एक करोड़ दस लाख सतहत्तर हजार सात सौ उनासी रु०) मात्र में से उपर्युक्त तालिका के क्रमांक- 01 से 03 तक के सम्मुख स्तम्भ- 05 में अंकित कुल राशि ₹36.45000 लाख (छत्तीस लाख पैंतालीस हजार रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या- 48 बजट शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष- 192-नगर पालिकाओं नगर परिषद् को सहायता, उप शीर्ष- 0105-नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें सहायक अनुदान, विपत्र कोड- 48-2217031920105, विषय शीर्ष- 0105.31.05 सहायक अनुदान- परिसंपत्तियों के निर्माण से की जाएगी।

(ख) आवंटित कुल राशि ₹110.77779 लाख (एक करोड़ दस लाख सतहत्तर हजार सात सौ उनासी रु०) मात्र में से उपर्युक्त तालिका के क्रमांक- 04 से 12 के सम्मुख स्तम्भ- 05 में अंकित कुल राशि ₹74.32779 लाख (चौहत्तर लाख बत्तीस हजार सात सौ उनासी रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या- 48 बजट शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष- 193-नगर पंचायतों-अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता, उप शीर्ष- 0104-नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें-सहायक अनुदान, विपत्र कोड- 48-2217031930104, विषय शीर्ष- 0104.31.05 सहायक अनुदान- परिसंपत्तियों के निर्माण से की जाएगी।

6. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
7. योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन राशि स्वीकृत की जाती है:-
- (i) **योजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित नगर निकायों द्वारा किया जायेगा।**
- (ii) संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देश समय-समय पर किया जाएगा।
- (iii) स्वीकृत निधि की अधिसीमा के अन्तर्गत ही योजनाओं के अनुरूप सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर कार्यान्वित करायी जायेगी। यह ध्यान में रखा जायेगा कि योजनाओं का डुप्लीकेशन न हो एवं पाँच वर्ष पूर्व से अबतक किसी भी एजेंसी से कोई कार्य नहीं कराया गया हो।
- (iv) सभी योजनाओं हेतु कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर विभाग का नाम, योजना की प्राक्कलित राशि, योजना का विवरण-लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।
- (v) **योजना का कार्यान्वयन ई-टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कराया जाएगा।**
- (vi) कार्यों का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त राशि का व्यय स्वीकृत कार्य पर ही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में उक्त राशि का विचलन कर किसी अन्य मदों में खर्च नहीं किया जायेगा।
8. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।
9. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार/आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना एवं कोशी प्रमंडल, सहरसा/जिला पदाधिकारी, कैमुर, भोजपुर एवं मधेपुरा/संबंधित कोषागार पदाधिकारी तथा अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

06.03.19

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/ना०नि०-02-02/2017 ९४ /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-०६।३।१९

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार/आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना एवं कोशी प्रमंडल, सहरसा/जिला पदाधिकारी, कैमुर, भोजपुर एवं मधेपुरा/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/मुख्य अभियंता, बुडको/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/श्री अमितेश कुमार, आई०टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग को विभागीय वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (05 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06.03.19

सरकार के विशेष सचिव।

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

* अनौपचारिक
रूप से परामर्शित

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

*द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक- 06.31.17

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में विभिन्न नगर निकायों में जल-जमाव की समस्या के समाधान हेतु नाला निर्माण की कुल ₹147.70372 लाख (एक करोड़ सैंतालीस लाख सत्तर हजार तीन सौ बहत्तर रु०) मात्र की योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजना कार्यान्वयन हेतु तत्काल ₹110.77779 लाख (एक करोड़ दस लाख सत्तर हजार सात सौ उनासी रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में जल-जमाव की समस्या के समाधान हेतु विभिन्न नगर निकायों से प्राप्त निम्न तालिका के स्तम्भ- 3 में अंकित योजना के लिए स्तम्भ- 4 में अंकित राशि के अनुरूप कुल ₹147.70372 लाख (एक करोड़ सैंतालीस लाख सत्तर हजार तीन सौ बहत्तर रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजना कार्यान्वयन हेतु स्तम्भ- 5 के अनुरूप तत्काल कुल ₹110.77779 लाख (एक करोड़ दस लाख सत्तर हजार सात सौ उनासी रु०) मात्र की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है:-

(राशि लाख में)

क्र० सं०	निकाय का नाम	योजनाओं का नाम	तकनीकी अनुमोदन/ प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	तत्काल स्वीकृत राशि	अवशेष राशि (4-5)
1	2	3	4	5	6
1	नगर परिषद्, भभुआ	वार्ड सं०- 08 में शिवाजी चोक से हवाई अड्डा तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	48.60000	36.45000	12.15000
योग(क)			48.60000	36.45000	12.15000
2	नगर पंचायत, जगदीशपुर	राज श्री स्टूडियो से गुप्ता स्टूडियो से बाके साह के घर तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	37.41672	28.06254	9.35418
3		मुख्य बाजार में शरदा साह के घर से काशीनाथ जी के दुकान होते चौधरी वस्त्रालय होते हुए तन्नु चाय दुकान तक नाला निर्माण कार्य।	47.07300	35.30475	11.76825
4	नगर पंचायत, मुरलीगंज	वार्ड नं०- 10 में राजेन्द्र मंडल के घर से बैद्यनाथ मंडल के घर तक नाला निर्माण कार्य।	14.61400	10.96050	3.65350
योग(ख)			99.10372	74.32779	24.77593
कुल योग(क+ख)			147.70372	110.77779	36.92593

14

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹110.77779 लाख (एक करोड़ दस लाख सतहत्तर हजार सात सौ उनासी रु०) मात्र।

इसके लिए आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

2. स्वीकृत कुल ₹110.77779 लाख (एक करोड़ दस लाख सतहत्तर हजार सात सौ उनासी रु०) मात्र सहायक अनुदान की राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, भम्भुआ तथा नगर पंचायत, जगदीशपुर एवं मुरलीगंज होंगे, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98 एवं पत्रांक- 354, दिनांक-28.03.2018 में निहित अनुदेशों के आलोक में संबंधित कोषागार से राशि की निकासी की जायेगी। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी। राशि का संधारण पी०एल० खाता में किया जाएगा।

3. चूंकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम- 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०- 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 1496, दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक- 63, दिनांक- 11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण-पत्र BCT- 42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

4. वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक- 16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड) के अनुसार “सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।”

5. कुल स्वीकृत राशि ₹110.77779 लाख (एक करोड़ दस लाख सतहत्तर हजार सात सौ उनासी रु०) मात्र की निकासी निम्नवत् की जायेगी:-

(क) स्वीकृत कुल ₹110.77779 लाख (एक करोड़ दस लाख सतहत्तर हजार सात सौ उनासी रु०) मात्र में से उपर्युक्त तालिका के क्रमांक- 01 से 03 तक के सम्मुख स्तम्भ- 05 में अंकित कुल राशि ₹36.45000 लाख (छत्तीस लाख पैतालीस हजार रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या- 48 बजट शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष- 192-नगर पालिकाओं नगर परिषद् को सहायता, उप शीर्ष- 0105-नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें सहायक अनुदान, विपत्र कोड- 48-2217031920105, विषय शीर्ष- 0105.31.05 सहायक अनुदान- परिसंपत्तियों के निर्माण से की जाएगी।

(ख) स्वीकृत कुल राशि ₹110.77779 लाख (एक करोड़ दस लाख सतहत्तर हजार सात सौ उनासी रु०) मात्र में से उपर्युक्त तालिका के क्रमांक- 04 से 12 के सम्मुख स्तम्भ- 05 में अंकित कुल राशि ₹74.32779 लाख (चौहत्तर लाख बत्तीस हजार सात सौ उनासी रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या- 48

बजट शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष- 193-नगर पंचायतों-अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता, उप शीर्ष- 0104-नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें-सहायक अनुदान, विपत्र कोड- 48-2217031930104, विषय शीर्ष- 0104.31.05 सहायक अनुदान- परिसंपत्तियों के निर्माण से की जाएगी।

6. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

7. योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन राशि स्वीकृत की जाती है:-

(i) **योजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित नगर निकायों द्वारा किया जायेगा।**

(ii) संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देश समय-समय पर किया जाएगा।

(iii) स्वीकृत निधि की अधिसीमा के अन्तर्गत ही योजनाओं के अनुरूप सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर कार्यान्वित करायी जायेगी। यह ध्यान में रखा जायेगा कि योजनाओं का डुप्लीकेशन न हो एवं पाँच वर्ष पूर्व से अबतक किसी भी एजेंसी से कोई कार्य नहीं कराया गया हो।

(iv) सभी योजनाओं हेतु कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर विभाग का नाम, योजना की प्राक्कलित राशि, योजना का विवरण-लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

(v) **योजना का कार्यान्वयन ई-टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कराया जाएगा।**


(vi) कार्यों का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त राशि का व्यय स्वीकृत कार्य पर ही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में उक्त राशि का विचलन कर किसी अन्य मदों में खर्च नहीं किया जायेगा।

8. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

9. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-2ब०/ना०नि०-02-02/2017 के पृष्ठ सं०-.....३५...../टि० पर दिनांक-०५/०३/२०१९ को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०-.....३५...../टि० पर दिनांक-०५/०३/२०१९ को प्राप्त है।

10. इसकी सूचना आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना एवं कोशी प्रमंडल, सहरसा/जिला पदाधिकारी, कैमुर, भोजपुर एवं मधेपुरा/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, भभुआ तथा नगर पंचायत, जगदीशपुर एवं मुरलीगंज/संबंधित कोषागार पदाधिकारी तथा अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,



सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/ना०नि०-02-02/2017 140 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-06/03/19

प्रतिलिपि:- आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना एवं कोशी प्रमंडल, सहरसा/जिला पदाधिकारी, कैमुर, भोजपुर एवं मधेपुरा/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, भभुआ तथा नगर पंचायत, जगदीशपुर एवं मुरलीगंज/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/मुख्य अभियंता, बुडको/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/श्री अमितेश कुमार, आई०टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग को विभागीय वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (05 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06.03.19

सरकार के विशेष सचिव।

ms